यह स्टाम्प संपरिवर्तन आदेश रजिस्ट्रेशन के साथ संलग्न हैं।

आदेश क्रमांकः– रुपा0 / राजस्व / 17 / 25
क्रमाक / सम / 1053–58

दिनांक 28 / 03 / 2017

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (तहसीलदार) श्रीमाधोपुर

श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर सीकर राजस्थान

.... संपरिवर्तन आदेश जारीकर्ता

बहक

श्री पांचूराम पुत्र श्रीनाथू जाति बलाई निवासी पीथलपुर ग्राम पंचायत पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

.... संपरिवर्तन आदेश प्राप्तकर्ता

कृ.पृ.उ...........................2

उप पंजीयक
अजीतगढ़, जिला-- सीकर

क्र.स 111×1, दिनांक 21-5-2017

मुद्रांक 100

नाम ...

पिता/पति का नाम ...

निवास ...

कालू राम भाट
स्टाम्प विक्रेता लाइ.नं.57/11
अजीतगढ़ तह. श्रीमाधोपुर

उप पंजीयक

संपरिवर्तन राशि– 12,500/–रूपये जरिये चालान संख्या 580 दिनांक 23.03.2017 को जमा करवाया गया।

भूमि विवरण राजस्व ग्राम अजीतगढ के खसरा नं. 1318/1 रकबा 0.25है0 में सम्पूर्ण मे से 2500 वर्गमीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन आदेश का रजिस्ट्रेशन ।

मुद्रांक शूल्क 100/1 = 100/–

दिनांक

कृ.पृ.उ.......................3

उप पंजीयक
अजीतगढ़, जिला– सीकर

आज दिनांक 24 माह April सन् 2017 को 09:00 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री PANCHU RAM पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री NATHU RAM
उम्र 0 वर्ष, जाति BALAI व्यवसाय ______________
निवासी PITHALPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, AJITGARH
(2017001114)
(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))

रसीद नं0 2017000678 दिनांक 24/04/2017
पंजीयन शुल्क रू0 130/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 280/-
सरचार्ज 80/-
कुल योग रू0 690/-

(2017001114) उप पंजीयक, AJITGARH
(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))

आज दिनांक 24/04/2017 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 33
में पृष्ठ संख्या 116 क्रम संख्या 2017000718 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 75
के पृष्ठ संख्या 66 से 70 पर
चस्पा किया गया।

(2017001114) उप पंजीयक, AJITGARH
(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))

उप पंजीयक अजीतगढ़, जिला - सीकर

||3||

साक्षी

1.विजेन्द्र यादव उम्र 40 वर्ष पुत्र गणपत राम

जाति अहीर निवासी माकडी

तहसील नीमका थाना जिला सीकर

2. सुभाष चन्द यादव उम्र 22 वर्ष पुत्र मूलचद

जाति अहीर निवासी दिवराला

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

उप पंजीयक

अजीतगढ़, जिला– सीकर

क्र.स .... दिनांक.......................
मुद्रांक .... वास्ते.......................
नाम ....
पिता/पति का नाम ....
निवास ....

कालू राम जाट
स्टाम्प विक्रेता ला.न.57/11
अजीतगढ तह. श्रीमाधोपुर

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) 1-PANCHU RAM /NATHU RAM Age:0, Caste-BALAI Ocu.- R/O-PITHALPUR (And Claimant) 1-TDR /NA Age:0, Caste- Ocu.- R/O-SHRIMADHOPUR			पांचूराम
ने लेख्यपत्र Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 12500/– पूर्व में/मेरे समक्ष/मे सें रू0 12500/–पूर्व में ——————— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।			
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री VIJENDRA SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANPAT SINGH उम्र 40 वर्ष जाति AHIR व्यवसाय निवासी MAKDI			
2. श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHASH CHANDRA YADAV पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MULCHAND उम्र 22 वर्ष जाति AHIR व्यवसाय निवासी DIVRALA ने की है जिनके			

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, AJITGARH

(2017001114)
(Order of conversion of Land (Under LR Rule 2007))

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

क्रमांक / रूपा0 / राजस्व / 17 / 25 दिनांक :- 28.3.17

संपरिवर्तन आदेश

श्री पांचूराम पुत्र श्रीनाथू जाति बलाई निवासी पीथलपुर द्वारा ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0) की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि **भूमि खसरा नम्बर 1318/1 रकबा 0.25 है0 में सम्पूर्ण 2500 वर्ग मीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन** के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 व 2012 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है। :–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	**श्री पांचूराम पुत्र श्रीनाथू जाति बलाई निवासी पीथलपुर** तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	हां।
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा : (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम अजीतगढ़ के **भूमि खसरा नम्बर 1318/1 रकबा 0.25 है0 में सम्पूर्ण 2500 वर्ग मीटर का आवासीय प्रयोजन हेतु।**
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम।	राशि जमा जरिये **चालान नम्बर 580 दिनांक 23.03.2017 रूपय 12,500/–** अक्षरे बारह हजार पांच सौ रूपये मात्र/–
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्ठियां यदि कोई हो	इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी ।

उप पंजीयक
अजीतगढ़, जिला– सीकर

10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :– (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की **तारीख से 5 वर्ष की कालावधि** के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रिमियम धन समपहृत हो जायेगा। (3) नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क केच मध्य से दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (6) निकटस्थ ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा–निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (8) आवेदक को रूपान्तरित भूमि पर स्थित शून्य पेडो में से शून्य पेड हटाने की अनुमति एक वर्ष में तीन गुणा छायादार/घने पेड लगाने की शर्त पर दी जाती है, अन्यथा हटाये गये प्रति पेड के बदले 500/–प्रतिवर्ष की दर से शास्ति राजकोष में जमा करानी होगी। (9)एच.टी.लाईन से प्रभावित भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

उप पंजीयक अजीतगढ़

तहसीलदार
तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

क्रमांक/सम/1053-58

दिनांक :– 28.3.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर।
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड ....।
4. सरपंच ग्राम पंचायत अजीतगढ़।
5. पटवारी, पटवार हल्का अजीतगढ़।
6. **श्रीपांचूराम पुत्र श्री नाथू जाति बलाई निवासी पीथलपुर** तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)।

तहसीलदार, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)